

14

उत्तराखण्ड शासन,  
आवास विभाग,

संख्या- 792/V-2/2016-06(आ0)/2016  
देहरादून:: दिनांक 02 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य में मेट्रो रेल/मोनो रेल एवं भवन निर्माण आदि के नियोजन, निर्माण, सुधार, विकास, प्रबन्धन, नियंत्रण तथा रख-रखाव हेतु अधिसूचना संख्या-430/V-2/2016-06(आ0)/2016, दिनांक: 16 मार्च, 2016 द्वारा "उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड" का गठन Companies Act, 2013 के अन्तर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- "उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड" के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष के रूप में सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

संख्या- 792/V/आ0-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (5) मुख्य प्रशासक, आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- (6) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- (7) सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनघाटी/नैनीताल।
- (8) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।।
- (9) सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (10) गार्ड बुक।

52A

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

52  
3-6-16  
8b

CA  
116